रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2004.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 20 अगस्त, 2004/29 श्रावण, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

शिमला, 4 अगस्त, 2004

संख्या पी० सी० एच०-एस० एम० एल० (4)-68/77-II-7029-33.—यह कि ग्राम पंचायत धार कन्दरू के निवासियों ने अधोहस्ताक्षरी को लिखित शिकायत पत्र दिनांक 29-1-2004 को श्री श्याम लाल पुत्र श्री शिव दत्त, प्रधान ग्राम पंचायत धार कन्दरू के विरुद्ध दी थी, जो कि प्रधान के विरुद्ध विकास कार्यों के लिये स्वीकृत धनराशि के दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में है, पर खण्ड विकास अधिकारी, ठियोग के माध्यम से जांच करवाई गई ।

खण्ड विकास अधिकारी, ठियोग ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र संख्या टी० एच० जी०/718, दिनांक 23-6-2004 को अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत की है और इस रिपोर्ट में श्री श्याम लाल, प्रधान ग्राम पंचायत धार कन्दरू, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैं :—

1. यह कि निर्माण जीप सड़क बटनाला से केवकली के लिये सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को मु० 95,000.00 रुपये स्वीकृत हुए थे, जिसमें से ग्राम पंचायत को मु० 45,000 रुपये नकद राशि तथा मु० 31,644 रुपये का खाद्यान कुल मु० 76,644.00 रुपये की अदायगी

की गई । पंचायत द्वारा इस कार्य पर मु0 89,658 रुपये व्यय किये गये परन्तु कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा इस कार्य का मौका पर मूल्यांकन करने पर मूल्यांकन 41,800.00 रुपये आंका गया है । इस प्रकार पंचायत द्वारा इस कार्य पर मु0 47,858.00 रुपये अधिक व्यय कर धनराशि का दुरुपयोग किया है ।

2. यह कि निर्माण पुल झांडू नाला के निर्माण कार्य के लिये सूखा राहत मद के अन्तर्गत मु0 20,000.00 रुपये की राशि स्वीकृत की गई और पंचायत को इस राशि में से मु0 19,600.00 रुपये की राशि अदा की गई । पंचायत द्वारा इस कार्य के लेखे प्रस्तुत करने पर तकनीकी सहायक द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट, पंचायत सचिव द्वारा पंचायत के लेखे प्रस्तुत करने पर कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र भी जारी किया गया परन्तु मौका पर उक्त कार्य का मूल्यांकन करने पर यह पाया गया कि उक्त पुल का नया सीमा स्थान (fresh abutment) का निर्माण नहीं किया गया है परन्तु उक्त पुल पर लकड़ी का कार्य हुआ है, जिसका मूल्यांकन कनिष्ट अभियन्ता ने मु0 2,524.00 रुपये आंका है और इस प्रकार इस कार्य पर पंचायत द्वारा मु0 17,076 रुपये का दुरुपयोग किया है ।

यह कि उपरोक्त अनुसार प्रधान, ग्राम पंचायत धार कन्दरू ने उपरोक्त वर्णित दो कार्यों पर मु0 47,858.00 तथा मु0 17,076.00 कुल 64,934.00 रुपये का दुरुपयोग किया है, जो राशि उनसे वसूल योग्य बनती है ।

यह कि उपरोक्त अनुसार श्री श्याम लाल, प्रधान ग्राम पंचायत धार कन्दरू, विकास खण्ड ठियोग ने उपरोक्त कार्यों में अनियमितता करते हुए अपने कर्तव्यों व शक्तियों का दुरुपयोग किया है और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों को भली भांति निभाने में भी विफल हुए हैं ।

अतः मैं, एस0 के0 बी0 एस0 नेगी, उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिनों के भीतर-भीतर खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें। विहित अवधि के भीतर आपका लिखित उत्तर प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है और आपके विरुद्ध प्रधान पद से निलम्बन हेतु एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।

शिमला, 9 अगस्त, 2004

संख्या पी0 सी0 एच0-एसएमएल(4)-7132-36.—यह कि जागरूक नागरिक ग्राम बशला से श्री रोशन लाल प्रधान, ग्राम पंचायत बशला, विकास खण्ड रोहड़ू के विरुद्ध अधोहस्ताक्षरी को विकास कार्यों में अनियमितता बारे लिखित शिकायत पत्र दिनांक 6-5-2004 को प्राप्त हुई थी जिसकी जांच उप-मण्डल अधिकारी रोहड़ू के माध्यम से करवाई गई ।

उप-मण्डल अधिकारी (ना0) रोहड़ू ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र संख्या एच0 आर0 यू0/डीए/2004-2435 दिनांक 30-7-2004 को अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत की है और इस रिपोर्ट में प्रधान, ग्राम पंचायत बशला विकास खण्ड रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध निम्न आरोप लगाए गये हैं :—

1. यह कि मुण्डीसन बावड़ी झोटा बावड़ी तथा हरिजन बावड़ियों का मौका पर जांच करने पर पाया गया कि इन बावड़ियों की मुरम्मत का कार्य मौका पर नहीं हुआ है ।

2. यह कि निर्माण सुरक्षा बिचार, राजकीय पाठशाला बशला के निर्माण के लिए उपायुक्त शिमला से मु0 80000.00 रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी उसमें से ग्राम पंचायत बशला को प्रथम किश्त जारी की गई परन्तु मौका पर निर्माण कार्य की गुणवता औसतन/घटिया स्तर की पाई गई ।

3. यह कि निर्माण सुरक्षा दिवार प्राथमिक पाठशाला बशला के निर्माण के लिए उपायुक्त शिमला से 60000.00 रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी उसमें से ग्राम पंचायत बशला को प्रथम किश्त मु0 12000.00 रुपए अदा की गई । मौका पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है केवल कुछ पत्थर खेल मैदान में रखे गए हैं ।

4. यह कि ग्राम पंचायत बशला के लिए मुख्य मन्त्री पथ योजना के अन्तर्गत निर्माण सोलिंग व मैटलिंग हेतु मु0 100000.00 रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी, उसमें से ग्राम पंचायत बशला को मु0 60000.00 रुपए की राशि अदा की गई । कार्य मौका पर औसतन/घटिया स्तर का पाया गया ।

5. यह कि ग्राम पंचायत बशला को निर्माण पुल अड्डा हेतु मु0 50000.00 रुपए की राशि उपायुक्त शिमला द्वारा स्वीकृत की गई थी, जिसमें से ग्राम पंचायत को प्रथम किश्त की राशि अदा की गई है । कार्य मौका पर औसतन/घटिया स्तर का पाया गया ।

6. यह कि ग्राम पंचायत बशला को निर्माण पुल धाई खड्ड के लिए मु0 30000.00 रुपए की राशि उपायुक्त शिमला द्वारा स्वीकृत की गई थी, जिसमें से ग्राम पंचायत को प्रथम किश्त की राशि अदा की गई है, जबकि मौका पर इस पुल का निर्माण ही नहीं हुआ है, बल्कि इसकी जगह दांदी पुल का निर्माण किया गया बताया है । जबकि स्वीकृत कार्य पर राशि खर्च न करके दूसरे कार्य पर राशि खर्च की गई है, जो कि आपत्तिजनक है ।

7. यह कि श्रीमती टीनू देवी जो कि अपंग है के लिए इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास बनाने के लिए अनुदान राशि सरकार से स्वीकृत हुई थी, जबकि पंचायत सचिव इस राशि को श्रीमति टीनू देवी को अदा नहीं कर रहा है । प्रधान का कहना है कि टीनू देवी द्वारा बनाया गया मकान इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बताये गए दिशा निर्देश के अनुसार नहीं है जबकि शिकायत कर्ताओं ने यह आरोप लगाया कि यह आवास खुद प्रधान द्वारा बनाया गया है ।

यह कि उपरोक्त अनुसार प्रधान, ग्राम पंचायत बशला, बिकास खण्ड रोहडू ने उपरोक्त कार्यों में अनियमितता करते हुए अपने कर्तव्यों व शक्तियों का दुरुपयोग किया है और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों को भली भांती निभाने में भी विफल हुए हैं ।

अतः में एस0 के0 बी0 एस0 नेगो, उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिनों के भीतर-भीतर खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें । विहित अवधि के भीतर आपका लिखित उत्तर प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है और आपके विरुद्ध प्रधान पद से निलम्बन हेतु एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।

एस0 के0 बी0 एस0 नेगी,
उपायुक्त,
शिमला, जिला शिमला (हि0प्र0) ।

कार्यालय उपायुक्त सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

सोलन, 21 जुलाई, 2004

संख्या सोलन 3-76(पंच)/2002-5003-09.—यह कि श्रीमती निर्मला देवी सदस्या, ग्राम पंचायत बवासनी, वार्ड नं0 7, विकास खण्ड नालागढ़, हिमाचल प्रदेश के 8 जून, 2001 के उपरांत दिनांक 9-12-2003 को एक अतिरिक्त तीसरी सन्तान पैदा होने के फलस्वरूप उन्हें इस कार्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत संख्या सोलन 3-76(पंच)/2002-4354-59 दिनांक 18-6-2004 द्वारा 15 दिनों के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए थे, कि क्यों न उन्हें पंचायती राज अधिनियम की संशोधित धारा (122) (1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत सदस्य पद पर पदासीन रहने के अयोग्य मानते हुए पद को रिक्त घोषित किया जाए ।

क्यों कि श्रीमती निर्मला देवी सदस्या, ग्राम पंचायत बवासनी, वार्ड नं0 7, विकास खण्ड नालागढ़, हिमाचल प्रदेश के कारण बताओ नोटिस पर निर्धारित अवधि में कोई स्पष्टिकरण इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है । जिससे यह स्पष्ट होता है कि कारण बताओ नोटिस के बारे में उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना हैं और उसमें लगाए गए आरोप सही हैं । पंचायत पदाधिकारियों को दो से अधिक सन्तान होने पर अयोग्यता का प्रावधान 8 जून, 2000 को पंचायती राज अधिनियम में लाया गया, परन्तु इस प्रावधान पर अमल की छूट 8 जून, 2001 तक की दी गई थी । इस प्रकार वर्णित प्रावधान में प्रत्येक पंचाततीं राज पदाधिकारी, जिनके 8 जून, 2001 के पश्चात् दो से अधिक सन्तान उत्पन्न होती है, वह अपने पद पर रहने के अयोग्य है । ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में श्रीमती निर्मला देवी सदस्या, ग्राम पंचायत बवासनी, वार्ड नं0 7, विकास खण्ड नालागढ, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश का सदस्य पद पर आसीन रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों के प्रदत्त प्रावधान के प्रतिकूल होगा ।

अतः मैं, राजेश कुमार (भा0प्र0से0), उपायुक्त सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) व 122(2) के अधीन प्राप्त हैं । श्रीमती निर्मला देवी सदस्या, ग्राम पंचायत बवासनी, वार्ड नं0 7, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को तत्काल सदस्या पद पर आसीन रहने के आयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 131(2) के प्रावधान के अनुपालना में ग्राम पंचायत बवासनी, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के वार्ड नं0 7 के सदस्य पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

राजेश कुमार,
उपायुक्त, सोलन,
जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

सोलन, 21 जुलाई, 2004

संख्या सोलन 3-92(पंच)/III-5002.— खण्ड विकास अधिकारी कण्डाघाट ने अपने पत्र संख्या के0जी0बी0-पंच/(पं0त्या)-801 दिनांक 9-7-2004 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि उनके विकास खण्ड में ग्राम पंचायत नगाली के प्रधान श्रीमती उषा कुमारी की नियुक्ति सरकारी नौकरी मिल जाने के कारण उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया है ।

अतः मैं, सम्पूर सिंह आजाद, जिला पंचायत अधिकारी सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130(1) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम, 1997 के नियम 135 के अन्तर्गत विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विकास खण्ड कण्डाघाट, की ग्राम पंचायत नगाली के प्रधान के त्याग-पत्र को स्वीकार करते हुए प्रधान पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

सम्पूर सिंह आजाद,
जिला पंचायत अधिकारी, सोलन,
जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

बिलासपुर, 10 अगस्त, 2004

संख्या बीएनपी-पंच-6-16/79-III-3916-22.—क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने अपने कार्यालय पत्र संख्या 435 दिनांक 19-5-2004 के अन्तर्गत यह सूचित किया है कि श्रीमती सरस्वती देवी जोकि ग्राम पंचायत सलोआ, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश वार्ड पंच के पद पर निर्वाचित हुई थी, ने अपनी घरेलू परिस्थितियों के कारण दिनांक 4-3-2004 से अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया है जिसकी पुष्टि पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सलोआ ने की है ।

अतः मैं, नन्द लाल, जिला पंचायत अधिकारी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 135(2) के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती सरस्वती देवी, वार्ड पंच, वार्ड नं0 4, ग्राम पंचायत सलोआ, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के त्याग-पत्र को दिनांक 4-3-2004 से सहर्ष स्वीकार करता हूं ।

नन्द लाल,
जिला पंचायत अधिकारी,
जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित